निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद (राज.)

प्रकरण सं. - 16/18

दायरा तारीख - 27.3.18

उनवान

रमिया पत्नि मन्ना लाल जाति मीणा नि. उंडेल (प्रार्थिया)

बनाम

1. अर्जुन पिता खुमा जाति मीणा नि. तालाब खेड़ा (रायपुर)
2. चम्पाबाई पत्नि अर्जुन जाति मीणा नि. तालाब खेड़ा (रायपुर)
3. तहसीलदार अरनोद.

(अप्रार्थीगण)

~ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 212 आर.टी. एक्ट ~

उपस्थिति - श्री पवन भावसार, विद्वान अभिभाषक (प्रार्थिया)

• निर्णय •

दिनांक - 02.12.20

संक्षेप मे प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रायपुर में खाता सं. - 470 आराजी नं. 1491 रकबा 0.85 हैं, 1492 रकबा 0.02 हे होकर प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है।

उक्त आराजियात पर अप्रार्थी आये दिन प्रार्थिया से लड़ाई झगड़ा करते है और जबरन कब्जा करने की नीयत से फसलें भी नष्ट करने की कोशिश करते है। वर्तमान मे आराजी नं. 1491 में अप्रार्थीगण ने निर्माण कार्य भी चालू कर दिया है मना करने पर धमकिया दे रहे है। प्रार्थिया ने सालमगढ़ थाने मे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई परन्तु कोई राहत प्राप्त नहीं हुयी।

हम उक्त वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया के पक्ष मे प्रमाणित।

अत: प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थिया की आराजी सं. 1491 व 1492 पर मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं

(लगातार ....

करे और न ही किसी अन्य से कराने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद फरमायी जावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तामील अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 23-7-19 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक पक्षीय बहस अधिवक्ता प्रार्थिया की सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गयी।

हमने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों अवलोकन कर गहन अध्ययन किया एवं बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया पर गौर फरमाया विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना-पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी के हम रिकॉर्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण जबरन हमें बेदखल करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नही है अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मूलवाद के निर्णित होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थिया की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावें।

बाद विवेचन स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया की खातेदारी होकर काबिज काश्त है। अतः किसी रिकॉर्डेड खातेदार को अन्य व्यक्ति बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 को आराजी सं. 1491 रकबा 0.85 है एवं 1492 रकबा 0.02 है पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ~~...~~ ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्र० 02/12/19

पीठासीन अधिकारी